न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत चीथवाडी)

मु.न. 135/2011

उनवान

1. रविन्द्र पुत्र छोटू जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. गोपाल पुत्र बींजाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. कल्याणसहाय पुत्र गोपी, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. हनुमान पुत्र गोपी, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत चीथवाडी मे पेश हुई। प्रार्थी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम चीथवाडी, पटवार हल्का चीथवाडी, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में आ0ख0न0 1180/4030 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/4031 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो इस वाद में विवादित भूमि हैं। जिसे आगे के मदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेंगा।

विवादित भूमि वादी व वादी के परिवारजनों की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है तथा सम्पूर्ण भूमि का वादी व उसके परिवाजन ही उपयोग उपभोग कर रहे है तथा सरकारी लगान अदा करते आ रहे हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 वादी को आये दिन हैरान व परेशान करते है तथा बिना वजह ही आये दिन वादी को उनकी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते हैं, वादी की भूमि में से जबरिया रास्ता निकाल लेना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अन्य तरफ से मौजूद है एवं प्रतिवादीगण अपने रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है किन्तु वादी को नाजायज रूप से हैरान परेशान करने व नुकसान कारित करने की गरज से वादी की भूमि के चारों ओर बनी तारबाउन्ड्री को तोडकर रास्ता कायम कर देना चाहते है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है वादी ने अपनी खातेदारी भूमि में फसल बो रखी है एवं सिंचाई पिलाई कर रहे है जिस फसल को नुकसान कारित करने पर प्रतिवादीगण उतारू रहते हैं।

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं-जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 3 दिनांक 21.07.2011 को वादी की कब्जे काश्त की भूमि की सीमा पर आ गये व वादी की भूमि के चारों ओर बनी तारबाउन्ड्री को तोडकर नुकसान करने लगे व जबरिया रास्ता निकालने पर आमादा हो गये, जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण उग्र हो गये एवं वादी की एकमात्र खातेदारी की भूमि में जबरन रास्ता निकालने पर आमादा हो गये एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा धमकी दी गई कि हम प्रतिवादी संख्या 4 से मिलीभगत करके तुम्हारी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि के मध्य से रास्ता निकालकर रहेंगे जिस कारण वादी को वाद पत्र पेश करना लाजमी आया हैं।

प्रतिवादीगण को मद संख्या 5 के अनुसार न्यायालय श्रीमान द्वारा पाबन्ध नहीं किया गया तो वादी के कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं को खत्म कर देंगे तथा वादी की उपयोग उपभोग की भूमि में खडी फसल व चारों ओर की तारबाउन्ड्री को नुकसान कारित कर जबरिया रास्ता निकाल लेंगे जिससे वादी अपने कब्जे काश्त स्वामित्व की भूमि से महरूम हो जावेगा तथा वाद बहुलता बढेगी तथा वादी को जो क्षति होगी उसकी भविष्य में भरपाई करना सम्भव नहीं होगा।

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी को मद संख्या 1 में वर्णित विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करे तथा वादी की भूमि की सीमाओं के साथ छेडछाड नहीं करें, ना ही भूमि के चारों ओर बनी तारबाउन्ड्री को क्षतिग्रस्त करें, ना हीं वादी की भूमि विवादग्रस्त में कोई रास्ता कायम करने की कार्यवाही करे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 4 से उक्त रास्ते हेतु कोई कार्यवाही करावें, तथा प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के किसी आवेदन पर वादी की विवादग्रस्त भूमि में रास्ता कायम करने की कार्यवाही ना तो स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र जिस प्रकार व जिस आशय से वर्णित किया गया है, मौका स्थिति से विपरीत होने से अस्वीकार हैं। क्योकि वादग्रस्त भूमि में से होकर खसरा नम्बर 1222, 1207 के सहारे सहारे अर्से पूर्व से एक आम रास्ता स्थित है, जो रास्ता पुश्तेनी रूप से कदीमी से बना हुआ है, जिस रास्ते से होकर ही धाना की ढाणी के निवासीगण एवं पडौसी काश्तकार आते जाते रहे है, उक्त ढाणी में जाने का उक्त रास्ता ही एक मात्र रास्ता है, जो प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 1221, 1216 से होते हुये उत्तरी ओर खातेदार रामू, धन्ना के खसरा नम्बर 1224, 1223, 1225, 1213 व 1214 के सहारे सहारे उक्त रास्ता धाना की ढाणी में जाता है, जो रास्ता अर्से दराज से निरन्तर व निर्बाध रूप से चालू हैं। वादीगण ने उक्त मौके की स्थिति को छुपाते हुयें खातेदारी भूमि की आड में गलत तथ्यों के आधार पर उक्त दावा पेश किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

ग्राम चीथवाडी से धाना की ढाणी जाने का रास्ता वादी एवं मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमियों से होता हुआ ग्राम चीथवाडी में ढाणी में जाने वाली मुख्य सडक के निकट गोविन्दपुरा डेयरी के पास तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसके पश्चात आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1221, 1222, 1224 की पश्चिमी मेड तथा खसरा नम्बर 1213, 1214 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे रास्ता चालू है तथा खसरा नम्बर 1225 से डोटेड लाईन से ढाणी तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसको वादी ने अपने खसरा नम्बर 1207 की पूर्वी दिशा तथा खसरा नम्बर 1224 की पश्चिमी

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

दिशा पर उक्त चालू रास्ते को वादी ने तारबन्दी कर बन्द कर दिया इस पर मिन प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र सरपंच महोदय, चीथवाडी को उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु दिया एवं एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमूं को दिनांक 23.05.2011 को दिया। मिन प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक कोरम में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने एवं रास्ते को खुलवाने बाबत प्रस्ताव लिया, सरपंच महोदय ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु पत्र कमांक 285/11 दिनांक 25.05.2011 को दिया, जिस पर न्यायालय श्रीमान ने विधिसम्मत कार्यवाही करने एवं मौके पर रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को जरिये पत्र कमांक 2011/1581 दिनांक 14.06.2011 को दिया एवं सात दिन में रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश दिये, जिस पर तहसीलदार चौमूं द्वारा पटवारी हल्का को मौके की रिपोर्ट पेश करने हेतु जरिये पत्र कमांक 664/01.07. 2011 को दिया, जिस पर पटवारी हल्का ने मौके की रिपोर्ट पेश की। इस सब के बावजूद भी वादी ने रास्ते का अतिकमण नही हटाया तथा माननीय मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई के दौरान आम जनता पेश हुई, जिस पर जिला कलक्टर जयपुर को दिनांक 02.06.2011 को पत्र कमांक ओ.एस.डी.(एल) प.2/कले/(जय)/11/43455 कलक्टर महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही न्यायाल श्रीमान के विचाराधीन है वादी को उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद बराय बदनियति समस्त तथ्यों को छुपाते हुयें मात्र खातेदारी की आड में कदीमी रास्ते को बन्द करवाने की गरज से उक्त झुंठा वाद पेश किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी का वाद पत्र झूंठा व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर व मौके की स्थिति से विपरीत होने से खारिज फरमाये जावें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आ0ख0न0 1180/4030 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/4031 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करे तथा वादी की भूमि की सीमाओं के साथ छेडछाड नहीं करें, ना ही भूमि के चारों ओर बनी तारबाउन्ड्री को क्षतिग्रस्त करें, ना हीं वादी की भूमि विवादग्रस्त में कोई रास्ता कायम करने की कार्यवाही करे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 4 से उक्त रास्ते हेतु कोई कार्यवाही करावें, तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के किसी आवेदन पर वादी की

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

विवादग्रस्त भूमि में रास्ता कायम करने की कार्यवाही करे, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट चीथवाडी में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चीथवाडी)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 135/2011

उनवान

1. रविन्द्र पुत्र छोटू जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. गोपाल पुत्र बींजाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तह. चौमूं, जि. जयपुर।
2. कल्याणसहाय पुत्र गोपी, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. हनुमान पुत्र गोपी, जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तह. चौमूं, जि. जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आ0ख0न0 1180/4030 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1181/4031 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करे तथा वादी की भूमि की सीमाओं के साथ छेडछाड नहीं करें, ना ही भूमि के चारों ओर बनी तारबाउन्ड्री को क्षतिग्रस्त करें, ना हीं वादी की भूमि विवादग्रस्त में कोई रास्ता कायम करने की कार्यवाही करे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 4 से उक्त रास्ते हेतु कोई कार्यवाही करावें, तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के किसी आवेदन पर वादी की विवादग्रस्त भूमि में रास्ता कायम करने की कार्यवाही करे, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीथवाडी मे आज तारीख 14.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला–मजिस्ट्रेट चौमूं जिला–जयपुर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
कोटपूतली जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner